... किया कि किसी प्रकार का ...

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2021 बअनवान विमलेश बनाम कुन्नाराम वगैरा

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.विमलेश पत्नी स्व0 श्री पूनमचन्द्र निवासी मुख्य बस स्टेण्ड के पास सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.सन्तोष देवी पुत्री कुन्नाराम पत्नी कैलाश जी हाल निवासी रेगरो का मौहल्ला लखोटिया चौक जैतारण पाली।		01.कुन्नाराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति धानका निवासी मुख्य बस स्टेण्ड के पास सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.शैतानसिंह पुत्र श्री कुन्नाराम जाति धानका निवासी मुख्य बस स्टेण्ड के पास सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03.इन्दा देवी पुत्री श्री कुन्नाराम जी धानका पत्नी गोपाल जी निवासी मारवाड बस स्टेण्ड के पीछे पुष्कर जिला अजमेर राज. 04.श्रीमान तहसीलदार महोदय लूणी जिला जोधपुर। 05.श्रीमान पंजीयक अधिकारी लूणी जिला जोधपुर। 06.हल्का पटवारी पटवार मण्डल सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर,टी एक्ट व सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थिति

05. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस,एस निर्माण उपस्थित।

06. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवडा उपस्थित।

आदेश दिनांक 13/9/2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर,टी,एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 151 सी.पी.सी प्रस्तुत कर ग्राम सालावास मे प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण सख्या 1 से 3 के पूर्वज स्व0 मांगीलाल की कृषि भूमि खसरा नम्बर 119 रकबा 0.03.12 बीधा एवं खसरा नम्बर 120 रकबा 09.10 बीधा कुल रकबा 9.12.12 बीधा है। जिस पर पूर्वज श्री मांगीलाल प्रार्थीगण सख्या 01 के दादा ससुर व प्रार्थीगण सख्या 2 के दादा थे प्रार्थीया सख्या 01 मांगीलाल जी की पोते की पत्नी है व कुन्नाराम जी के जायन्दा पुत्र स्व पूनमचन्द की धर्म पत्नी है तथा प्रार्थीयां सख्या 02 श्री मांगीलाल की पोती व कुन्नाराम जी जामदा पुत्री है। मांगीलाल जी के देहान्त पश्चात दो पुत्रिया आनन्दी व मदिया देवी व एक पुत्र कुन्नाराम के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई। दोनो पुत्रियो द्वारा उक्त भूमि मे से अपना सम्पूर्ण हिस्सा भाई कुन्नाराम के नाम हकतर्क कर दिया। जो कि राजस्व रेकर्ड मे कुन्नाराम के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण के पूर्वज मागीलाल जी की सम्पति मे पोती व पोता का अपने पिता के हिस्से मे आने वाली भूमि 9.12.13 बीधा मे बराबर हिस्सा है इसलिये प्रार्थीगण सख्या 1 व 2 के हिस्से मे 1/5–1/5 हिस्सा आता है। स्व0 मांगीलाल जी के पुत्र कुन्नाराम जी की जायन्दा पुत्र होने के नाते पैतृक सम्पति मे पूर्ण हकदार है। प्रार्थीगण विवादित भूमि का बटवाडा करने से अप्रार्थी सख्या 01 इंकार करने के कारण बटवाडा की डिकी जारी करने वर्णित खसरो की राजस्व एव मौके की यथास्थिति बनाये रखने तथा यथास्थिति वाद चलने तथा कायम रखने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसल है प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने इस पर किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होना बताया गया। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थीनी सख्या 02 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों बाबत नही चलाना चाहती हूं। तथा मेरे नाम से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अपने हिस्से तक खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सख्या 1 व 2 की ओर जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि स्व0 पुनमचन्द की धर्म पत्नी श्रीमती कान्ता उर्फ पन्ता थी। जिस की दिनॉक 24.12.2002 को स्वर्गवास हो गया था। कान्ता के अलावा स्व पुनमचन्द के कुल 6 वारिसान पुत्र एवं पुत्रिया आज दिनॉक तक जीवित है। प्रार्थीनी सख्या एक को कोई अधिकार उक्त विवादग्रस्त खसरान् की कृषि भूमियो मे प्राप्त नही हुये एव न ही प्राप्त हो सकते है। उक्त विवादग्रस्त खसरान् की कृषि भूमियो मे से अप्रार्थी सख्या एक को 2/3 हिस्सा तो हकतर्कनामे से प्राप्त हुआ है जो कि स्व अर्जित है तथा शेष 1/3 हिस्सा उसमे अप्रार्थी सख्या एक के जीवनकाल मे किसी भी अन्य वारिसानो प्राप्त करने के कोई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थी सख्या एक ने पुनमचन्द की धर्म पत्नी बताते हुये वाद प्रस्तुत किया है, जबकि पुत्रवधू को कोई अधिकार ससुर की सम्पति मे ससुर के जीवनकाल मे प्राप्त नही हो सकते है। स्व0 पूनमचन्द के कुल सात वारिसान है, इसलिये किस आधार पर प्रार्थी सख्या 01 द्वारा 1/5 हिस्सा बिना किसी आधार के प्रस्तुत किया जो कि केवल खारिज किये जाने योग्य हैं अप्रार्थी सख्या 01 उक्त विवादग्रस्त खसरान् की कृषि भूमि का रेकर्डेड खातेदार है जिसको केवल मात्र तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी सख्या 3 की ओर से भी जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपने पिता के जीवनकाल मे किसी प्रकार का कोई हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है व न ही किसी प्रकार का कोई हिस्सा कानूनन बनता है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थी गण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी सख्या एक की ओर से जबावबुल जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्व0 पूनमचन्द की पहली पत्नी का स्वर्गवास होने के पश्चात द्वितीय विवाह दिनॉक 11.05.2003 को सम्पूर्ण समाज के मौजिक व्यक्तियो एव दोनो परिवार के रिश्तेदारो के बीच हुआ था, जिसकी कुकुम पत्री की छायाप्राति अवलोकनार्थ पेश की गई। प्रार्थीया के 6 सन्तान है जिसमे से पूनमचन्द जी की पहली की पत्नी से तीन व स्वय प्रार्थीया सख्या 1 से तीन इन सब का लालन पालन प्रार्थीया स्वयं ने किया है तथा पुत्र वधु का पूर्ण धर्म निभाया है। प्रतिवादी अगर उक्त खसरान् की भूमि बेच दी तो प्रार्थीया के अधिकारो का हनन होगा, इसलिये श्रीमान के न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश दिनॉक 02.03.2021 को ता फैसला वाद तक पुख्ता किया जावें प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा दिनॉक 28.07.2021 को फार्म नम्बर 3 के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जो शामिल मिसल किये गये।

हमने प्रार्थीया एव अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी गण व अप्राथीगण सख्या 1 से 3 के पूर्वज स्व0 मांगीलाल की कृषि भूमि ग्राम सालावास के खसरान् नम्बर 119 रकबा 0.0312 बीघा खसरा नम्बर 120 रकबा 9.1000 बीघा स्थित है। जो कि पुश्तैनी एवं पेतृक कृषि भूमि है तथा खातेदार कुनाराम पुत्र मांगीलाल के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हैं। प्रार्थीया विमलेश पत्नी स्व पुनमचन्द ने जबाबुल जबाव मे कथन किया कि प्रार्थीया स्व0 पूनमचन्द की पहली पत्नी कान्ता उर्फ पन्ता के स्वर्गवास होने के पश्चात द्वितीय विवाह मुझ प्रार्थीया के साथ दिनॉक 11.05.2003 को हुआ था। अप्रार्थी सख्या 1 से 3 ने अपने जबाव मे प्रार्थीया को पुनमचन्द की द्वितीय पत्नी होना स्वीकार नही किया। अप्रार्थी सख्या 01 रेकर्डेड खातेदार है तथा अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग करने का स्वतन्त्र अधिकार है। प्रार्थीया का कोई हक–हिस्सा वर्तमान मे उक्त खसरान् की कृषि भूमि मे नही है। प्रार्थीगण के पक्ष मे किसी प्रकार का मामला बनना तथा सुविधा का सन्तुलन होना नही बनता हैं। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खारिज योग्य प्रतीत होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी, (जोधपुर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी